ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-6 अंक : 82

सहयोग शुल्क : रु. 1 / ओकटोबर: 2023

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

"रविन्द्र जैन संगीत के सूरों से दुनिया देखते थे"

– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

"रविन्द्र जैन ने सूरों से लोगों को रास्ता दिखाया है"

– प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

दिव्यांग शब्द सुनते ही अब विकलांगता का छेद उड जाता है । दिव्यांगों के सशक्तीकरण और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारों द्वारा बनाए गये कानून, दिव्यांगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकारों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है । दूसरी तरफ दिव्यांगों के स्वयं के प्रयासों और उनमें छिपी प्रतिभा के बल पर कई दिव्यांगों ने न केवल दिव्यांगों बल्कि देश के सभी लोगों को प्रभावित किया है । हमारे इस अंक में ऐसी ही प्रतिभा के धनी दिवंगत श्री रविन्द्र जैन के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है । रविन्द्र जैन ने हिन्दी सिनेमा जगत और संगीत की दुनिया में सर्वोच्च शिखरों को सर किया है । देश और दुनिया में सब का ध्यान आकर्षित करनेवाली दूरदर्शन पर प्रसारित हुए टी.वी सिरियल 'रामायण'में अपना संगीत देनेवाले **रविन्द्र जैन** द्रष्टीहिन होने के बाद भी संगीत की दुनिया में हमेशा अमर रहनेवाला संगीत और धूनें दे गये हैं । कई लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि रामायण जैसे महान टी.वी सिरियल और अन्य कई फिल्मों में संगीत दे चूके श्री रविन्द्र जैन द्रष्टिहिन थे । अपनी संगीत प्रतिभा के बल पर अमर हो गए रविन्द्र जैन को हमारी स्वरांजली देते हैं ।

दिव्यांग अधिकार अधिनियम २०१६ आज दिव्यांगों के जीवन को सरल बनाने का रामबाण इलाज है । सरकार ने यह कानून बनाकर दिव्यांगों को सम्मान के साथ जीवन जीने का रास्ता दिया है । आगे के अंको में भी दिव्यांग अधिकार अधिनियम २०१६ के बारे में विस्तृत जानकारी दी जायेगी । सरकार के ऐसे प्रयासों की हम सराहना करते हुए अभिनंदन करते हैं ।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

ओकटोबर : 2023, पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष-6 अंक : 81

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

मंत्रयुगपरिवर्तक ॐकार महामंडलेश्वर १००८
प. पू. संतश्री सद्गुरु ॐऋषि स्वामी ।

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

रहस्यमयी था ये नेत्रहीन संगीतकार, धुनों से ऐसे देखता रहा दुनिया, बॉलीवुड में कभी नहीं आई काम की कमी

मधुर धुनों का लंबा सिलसिला उनके नाम से जुड़ा है, उन्होंने फिल्मी दुनिया को सुरीले नगमों की सौगात उस दौर में दी जब फिल्मों में बढ़ती हिंसा ने संगीत के लिए गुंजाइशें कम कर दी थीं । ऐसे ही दौर में उभरे ते रवींद्र जैन। रवींद्र जैन एक ऐसी शख्सियत का नाम था जिसने संगीतकार, गीतकार और गायक के रूप में हिंदी सिनेमा को बेशुमार सदाबहार गाने दिये । रवींद्र जैन का जन्म 28 फरवरी, 1944 को अलीगढ़ में संस्कृत के पंडित और आयुर्वेद विज्ञानी इंद्रमणि जैन की संतान के रूप में हुआ था । वे सात भाई-बहन थे। उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ब्लाइंड स्कूल से पढ़ाई की । चार साल की उम्र से ही उनके पिता ने उनके लिए घर पर ही संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की । बाद में रवींद्र जैन संगीत के शिक्षकों के तौर पर कोलकाता चले गए ।

इस बीच उन्होंने गायक के रूप में भी स्थापित होना चाहा, लेकिन रवींद्र जैन को देश के पांच रेडियो स्टेशनों में ऑडिशन के दौरान नकार दिया गया । कोलकाता में रहने वाले रवींद्र जैन के गुरू राधे श्याम झुनझुनवाला एक फिल्म बनाना चाह रहे थे । फिल्म में संगीत देने के लिए वो रवींद्र जैन को अपने साथ मुंबई ले गए, वो साल था 1969 । राधेश्याम झुनझुनवाला ने फिल्म बनायी लोरी, 14 जनवरी 1971 को रवींद्र जैन ने अपने संगीत निर्देशन में पहला गीत रिकॉर्ड कराया । मोहम्मद रफी द्वारा गाए इस गीत के बोल थे 'ये सिलसिला है प्यार का चलता ही रहेगा'। इसके बाद लोरी के लिए रवींद्र जैन ने लता मंगेशकर से चार

गीत और एक गीत लता और आशा से गवाया । लेकिन राधे श्याम फिल्म पूरी नहीं कर सके । फिर भी रवींद्र जैन की खुशी का ठिकाना नहीं था उन्हें पहली ही फिल्म में रफी ,लता और आशा जैसे दिग्गज गायकों से गवाने का मौका मिला था ।

रवींद जैन के संगीत निर्देशन में जो पहली फिल्म रिलीज हुई वो थी 'कांच और हीरा' (1972) इस फिल्म में रवींद्र जैन ने फिर रफी साहब से एक गीत गवाया जिसके बोल थे 'नजर आती नहीं मंजिल '। ये फिल्म तो बक्स आफिस पर फेल हो गयी, लेकिन रवींद्र जैन फेल नहीं हुए । 1973 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म 'सौदागर' ने रवींद्र जैन की किस्मत के दरवाजे खोल दिये । इस फिल्म के गीत 'तेरा मेरा साथ रहे और सजना है मुझे सजना के लिए आज भी गुनगुनाए जाते हैं । इसके बाद 'चोर मचाए शोर' (1974) में रवींद्र को मौका मिला तो उन्हें किशोर कुमार से कालजयी गीत गवाया 'घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं' इसके बाद रवींद्र जैन के संगीत से सजी चितचोर और अंखियों के झरोखे ने तो पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया..इन फिल्मों के बाद ही हेमलता को लता मंगेशकर के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा । तपस्या (1975) का गीत दो पंछी दो तिनके देखो ले कर चले हैं कहां ।

चितचोर (1976) का गीत, श्याम तेरे कितने नाम (1977) में जसपाल सिंह का गाया गाना जब जब तू मेरे सामने आए , मन का संयम टूटा जाए, अंखियों के झरोखे से (1978), गीता गाता चल (1975) और दुल्हन वही जो पिया मन भाए (1977) के सभी गाने से लेकर नदिया के पार (1982) तक के सफर में रवींद्र जैन ने हिंदी सिनेमा के संगीत को बेहद रसपूर्ण गीत दिये। उनके संगीत के दम पर फिल्म सिर्फ हिट नहीं बल्की सुपर हिट हुईं ।

'चितचोर' (1976) के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था । इसके बाद 1978 में फिल्म 'अखियों के झरोखों से' के लिए भी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन और फिल्म के शीर्षक गीत 'अखियों के झरोखों से' के लिए सर्वश्रेष्ठ

गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला । साल 1985 में फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में संगीत देने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और 1991 में फिल्म 'हिना' के गीत 'मैं हूं खुशरंग हिना' के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।

ये उनकी लोकप्रियता का आलम था कि बीआर चोपड़ा ने रवि को छोड़ रवींद्र जैन को पति पत्नी और वो (1978) और इंसाफ का तराजू (1980) के संगीत जिम्मेदारी दी । यही नहीं राजकपूर जैसा महान फिल्मकार जिनकी फिल्में अपने संगीत के लिए अलग महत्व रखती है । , उनको जब लक्ष्मी कांत प्यारे लाल से किनारा करना पड़ा तो उन्हें भी रवींद्र जैन ही नजर आए। राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग और हिना में रवींद्र जैन ने राजकपूर के फैसले को गलत साबित नहीं होने दिया । हांलाकि सिनेमा में अपना वुजूद बनाए रखने के लिए रवींद्र जैन ने बहुत से ऐसी फिल्में कीं जिनमें वो अपने खास हुनर की छाप नहीं छोड़ सके । मिसाल के लिए हम नहीं सुधरेंगे (1980), खून खराबा (1980), प्रतिशोध (1980), ये कैसा इंसाफ (1980) कहानी फूलवती की(1985), मुझे कसम है (1985) माटी बलिदान की(1986), गुलामी की जंजीर(1987) जैसी और भी कई फिल्में हैं। लेकिन जब जब उन्हें अपनी पसंदीदा सिचुएशन मिली कानो में रस घोलने वाली धुन उन्होंने जरूर दी । फिल्मी दुनिया में उगता सूरज डूबता जरूर है रवींद्र जैन को इसका एहसास था इसलिये अस्सी के दशक के मध्य में जब रवींद्र जैन ही नहीं, खय्याम, नौशाद और रवि जैसे की बड़े संगीतकार हाशिये पर पहुंच गए तब रवींद्र जैन ने धारावाहिकों में संगीत देने और गीत लिखने का सिलसिला शुरू किया । जहां तक काम की बात है तो रवींद्र जैन अपने सुनहरे दौर में जितने व्यस्त थे तीस

रवीन्द्र जैन भारतीय हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक थे । मुख्यत: उन्हें भजन गायक के रूप में ख्याति मिली थी । रवीन्द्र जैन हिन्दी सिनेमा के ऐसे संगीतकार थे, जिन्होंने मन की आँखों से दुनिया को समझा । सरगम के सात सुरों के माध्यम से उन्होंने जितना समाज से पाया, उससे कई गुना अधिक अपने श्रोताओं को लौटाया । वे मधुर धुनों के सर्जक होने के साथ बेहतरीन गायक भी रहे और अधिकांश गीतों की आशु रचना भी उन्होंने करके सबको चौंकाया । मन्ना डे के दृष्टिहीन चाचा कृष्णचन्द्र डे के बाद रवीन्द्र जैन दूसरे व्यक्ति थे, जिन्होंने दृश्य-श्रव्य माध्यम में केवल श्रव्य के सहारे ऐसा इतिहास रचा, जो युवा-पीढ़ी के लिए अनुकरणीय बन गया ।

साल बाद भी उनके पास काम की कमी नहीं थी। एक गीतकार के रूप में उन्हेंने फिल्मों में भले ही कम लिखा हो, लेकिन अपने शौक के लिए जमकर लिखा ।

उनकी गजलों का संग्रह 'दिल की नजर से' प्रकाशित हुआ.. इसके अलावा उन्होंने कुरान का अरबी भाषा से सहल उर्दू जबान में अनुवाद किया साथ ही उन्होंने श्रीमद्भगवत गीता का सरल हिंदी पद्यानुवाद भी किया । हाल ही में उनकी पुस्तक रवींद्र रामायण प्रकाशित हुई इतना ही नहीं उनकी आत्मकथा 'सुनहरे पल' भी प्रकाशित हो चुकी है । पिछले कुछ सालों से रवींद्र जैन श्रीमद्भ भागवतम, सामवेद और उपनिषदों का सरल हिंदी में अनुवाद कर रहे थे, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया..पिछले दो सालों से किडनी की बीमारी ने उनके सृजन पर गहरा असर डाला और इसी बीमारी की वजह से 9 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया ।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की संक्षिप्त जानकारी

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून: (पीछले अंक का अनुसंधान)

पिछले अंक में हमने दिव्यांगों के विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी साझा की थी । इस अंक में उस कानून के अन्य पहलूओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे । पिछले अंक में जो जानकारी प्राप्त की थी उसका अनुसंधान बना रहे इसलिए उन मुद्दों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ।

१. दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम -१९९५)

२. ऑटिजम, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियिम-१९९९

३. निःशक्त व्यक्ति अधिकार (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

४. दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु विभाग

५. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

६. सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) स्कीम

७. बच्चों की श्रवण दिव्यांगता पर कार्य

अब इसी क्रम में अन्य कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ।

७. बच्चों की श्रवण दिव्यांगता पर कार्य

बच्चों की श्रवण दिव्यांगता पर काबू करने के लिए कोकलियर इंप्लांट सर्जरियों के उद्देश्य से देशभर में १७२ अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया । आज की तारीख में ८३९ कोकलियर इंप्लांट सर्जरियाँ सफलतापूर्वक पूरी की गई है और उनके पुनर्वास का कार्य चल रहा है ।

८. शैक्षिक सशक्तिकरण

शैक्षिक सशक्तिकरण के अंतर्गत कक्षा 9 से एमफिल/पीएचडी स्तर के छात्रों सहित और विदेशों में अध्ययन हेतु सरकार पांच छात्रवृत्ति योजनाएं, नामतः प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना, उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं।

९. भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र

सरकार ने भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी), ओखला, दिल्ली की स्थापना की है। इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य श्रवण बाधित व्यक्तियों के लाभ के लिए शिक्षण एवं भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान कार्य के आयोजन के लिए श्रमशक्ति का विकास करना है। 6000 शब्दों का संकेत भाषा शब्दकोश तैयार करने की कार्रवाई चल रही है।

१०. विशिष्ठ दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के लिए

राष्टीय संस्थान विशिष्ठ दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के विषय में, भारत सरकार ने विभाग के तहत विशिष्ठ दिव्यांगताओं में 7 राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) स्थापित किए हैं। ये मानव संसाधन विकास में संलग्न हैं और दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास एवं अनुसंधान तथा विकास सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। राजनंदगांव (छत्तीसगढ़), नैल्लोर (आंध्रप्रदेश), देवानगीर (कर्नाटक) और नागपुर (महाराष्ट्र) में 4 नए संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। आईजोल में 1 दिव्यांगता अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

११. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

सरकार ने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर के आधुनिकीकरण के लिए आधुनिक सहायक उपकरणों के उत्पादन और निगम द्वारा देश भर में इस समय लाभान्वित किए जा रहे 1.57 लाख लाभान्वितों के विरूद्ध लगभग 6.00 लाख लाभान्वितों के लाभ के लिए कुल 286.00 करोड़ रूपए की लागत को मंजूरी दी है।

१२. राज्य स्पाइनल इंजूरी केंद्रों की स्थापना

नई पहलों में सरकार राज्य स्पाइनल इंजूरी केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर स्पाइनल इंजूरी के समेकित प्रबंधन हेतु ध्यान केंद्रित कर रही है। योजना के अंतर्गत राज्य राजधानी/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला अस्पताल से संबद्ध 12 बैड वाले

समर्पित व्यापक पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जायेंगे। सरकार दिव्यांगता खेलो के लिए तीन केंद्रों अर्थात जीरकपुर (पंजाब), विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश) और ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

१३. सिविल सोसाइटिस की भागीदारी

सरकार का मानना है कि सभी पणधारकों, राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों सिविल सोसाइटिस की भागीदारी भी होनी चाहिए ताकि विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों/कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने तथा दिव्यांगजनों को समाज में स्वतंत्र और प्रतिष्ठित ढंग से जीवन जीने के अवसर प्रदान किए जा सकें।

(अब अगले अंक से हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के बारे में हर अंक में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे)

સદ્‌ગુરુ ૐઋષિ દ્વારા આ ચેનલ ઉપર દરેક પ્રશ્નોના સમાધાન માટે અલગ - અલગ મંત્ર પ્રશ્નોનાં સમાધાન માટે આપેલ છે, માટે આ ચેનલ અચૂક જોવી, સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન (ઘંટડી) ઉપર ક્લીક કરવું.

મંત્રયુગપરિવર્તક ૐકાર મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮
પ.પૂ. સંતશ્રી સદ્‌ગુરુ ૐઋષિ સ્વામી

અમારા નવા વિડીયો મેળવવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો.

YouTube

સ્ટેપ- ૧ યૂ ટ્યૂબ ચેનલ પર ક્લીક કરો
સ્ટેપ- ૨ ટાઇપ કરો "SADGURU OMRUSHI"
સ્ટેપ- ૩ "SADGURU OMRUSHI" પર ક્લીક કરો
સ્ટેપ- ૪ SUBSCRIBE બટન ક્લીક કરો અને Bell ની નિશાનીને દબાવો.

સદ્‌ગુરુ ૐઋષિ દ્વારા રચિત રોજનો પવિત્ર શબ્દ નીચે આપેલ ચેનલ ઉપર આપ નિહાળી શકો છો.

दिव्यांगों का सशक्तीकरण करेगा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

दिव्यांगो के लिए बने कानून दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को संयुक्त राष्ट्र नि:शक्त व्यक्ति अधिकार समझौता (यूएनसीआरपीडी) की भावनाओं के अनुरूप है-की दिव्यांगजन अधिकार समूहों ने पूर्व के विधेयक में व्यापक सुधार के तौर पर अभिवादन किया है। यह पूर्ववर्ती नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में कई संशोधनों के साथ उसका स्थान ग्रहण करेगा।
2016 के विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक यह है कि अधिनियम सात नि:शक्तताओं के स्थान पर 21 विनिर्दिष्ट स्थितियों को मान्यता प्रदान करता है, परंतु नकारात्मक पहलू यह है कि इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र सहित स्थापनाओं में नि:शक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षण पांच प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही विधेयक में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के वास्ते प्रोत्साहित किया जायेगा कि उनके कार्य बल का कम से कम पांच प्रतिशत नि:शक्त व्यक्तियों के लिये रखा जाना चाहिये।

प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा और सभी उच्चतर सरकारी संस्थान तथा सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान पांच प्रतिशत सीटें नि:शक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षित करेंगे, साथ ही वे ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान करेंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ऐतिहासिक विधेयक नि:शक्त व्यक्तियों के जीवन में रोशनी प्रदान करेगा जिनमें से अधिकतर वर्तमान सेवाओं और कार्यक्रमों से बाहर थे। दिव्यांगों के साथ भेदभाव नहीं होगा, उन्हें समान अवसर प्राप्त होंगे, स्वतंत्र रूप से जीवनयापन करेंगे और एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में उनकी पूर्ण भागीदारी होगी।

कानून में दोनों सदनों में कई आधिकारिक संशोधनों को स्वीकार किया गया जिनसे देश में अनुमानित 2.68 करोड़ लोगों को उनके अधिकार और पात्रताएं हासिल होंगी। विधेयक को इस रूप और स्वरूप में देखने के लिये दिव्यांग अधिकार समूह लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे।

नि:शक्त व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर परिभाषित किया जाता है जो कि दीर्घावधि की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा मस्तिष्क संबंधी

अपंगता से ग्रसित है जो कि उनके दूसरों के साथ समानता के साथ समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधक होती है। 1995 के अधिनियम में नि:शक्त व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों के तौर पर परिभाषित किया गया है जिनमें न्यूनतम चालीस प्रतिशत की नि:शक्तता है और इसमें नि:शक्तता की सात श्रेणियों की पहचान की गई थी।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ नि:शक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) हैं जो कि अनुमानत: कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत होता है। इनमें से 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। विश्व बैंक के अनुसार विश्व की 15 प्रतिशत जनसंख्या एक या अधिक नि:शक्तता से प्रभावित है।

विधेयक में जिन 21 दिव्यांग स्थितियों की पहचान की गई है उनमें शामिल हैं: दृष्टिहीनता, अल्प दृष्टि , श्रव्य विकलांगता (बहरापन और सुनने में कठिनाई), बोलने और भाषा संबंधी नि:शक्तता, बौद्धिक नि:शक्तता (विशिष्ट शिक्षण नि:शक्तताएं और ऑटिज्म स्पैक्ट्रम डिसआर्डर), मानसिक व्यवहार, गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति जैसे कि मल्टीपल सिरोसिस और पार्किन्सन बीमारी के कारण होने वाली नि:शक्तता, थैलीसीमिया, सिकल सैल बीमारी सहित रक्त विकार, धीमी दृष्टिबाधिता सहित बहु नि:शक्तताएं, गतिविषयक नि:शक्तता (ठीक हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, बौनापन, मांसपेशी अपविकास और एसिड हमले के पीड़ित). केंद्रीय सरकार द्वारा नि:शक्तता की कोई अन्य श्रेणी को भी अधिसूचित किया जा सकता है।

यूएनसीआरपीडी ने नि:शक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिये स्पष्ट सिद्धांत निर्धारित किये हैं जिनमें ''अंतर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता, भेदभाव रहित सम्मान और पुरुषों तथा महिलाओं के लिये समान अवसर, उपलब्धता और समानता के साथ समाज में पूर्ण समावेशी भागीदारी'' सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि नि:शक्त व्यक्तियों में भिन्नता के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता मानवीय विविधता और मानवीयता का हिस्सा होना चाहिये।

यद्यपि 2014 के विधेयक में नि:शक्त व्यक्तियों के प्रति ग़ैर भेदभाव के सिद्धांत पर चुप्पी थी लेकिन 2016 के विधेयक में कहा गया है कि नि:शक्तता के संबंध में भेदभाव से आशय विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के

भेदभाव, बहिष्कार, प्रतिबंध से है जो कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानवाधिकारों और आधारभूत स्वतंत्रताओं की अन्य के साथ समान आधार पर प्रापण अथवा प्रयोग की नि:शक्तता अथवा पहचान समाप्त करने के उद्देश्य अथवा प्रभाव के लिये है और इसमें सभी प्रकार के भेदभाव तथा न्यायोचित सुविधा से वंचित किये जैसे मुद्दे सम्मिलित हैं.''

हालांकि, यह एक शर्त के साथ आया है । अधिकार और पात्रताएं के अधीन अनुच्छेद 3(3) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ नि:शक्तता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा, अन्यथा कि यह दर्शाया जाता है कि विवादित कृत्य या चूक ' ' न्यायोचित उद्देश्य हासिल करने' ' का एक आनुपातिक साधन है । इस अनुच्छेद पर संसद में चिंताएं व्यक्त की गईं और सदस्यों ने आशंका व्यक्त की कि इस प्रावधान से कार्यान्वयन एजेंसियों को उन्मुक्त शक्तियां प्राप्त हो जायेंगी । आशंकाओं पर विराम लगाते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा कुछ भी न हो ।

पहली बार इस कानून में नि:शक्ता से ग्रसित महिलाओं और बच्चों को स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और कहा गया है कि उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के उपाय करेंगे कि नि:शक्त महिलाओं और बच्चों को दूसरों के समान अधिकार प्राप्त हों ।''

नि:शक्तता से ग्रसित बच्चों को अब उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर अपने विचार उन्मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने के समान अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आयु और नि:शक्तता के मद्देनजर उन्हें उपयुक्त समर्थन प्राप्त होगा । लिंग विनिर्दिष्ट उपबंध कई महत्वपूर्ण अध्यायों जैसे कि स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़े गये हैं हालांकि गर्भ गिराने और महिला के साथ दुष्कर्म के लिये न्यूनतम जुर्माने से संबंधित प्रावधान अन्य दंडात्मक कानूनों के असंगत हैं ।

नि:शक्त व्यक्ति की संरक्षता के प्रावधान पर, एक बदलाव हुआ है । जबकि पूर्ववर्ती विधेयक में व्यवस्था थी कि यदि कोई ज़िला अदालत यह मानती है कि ''मानसिक रूप से बीमार'' व्यक्ति अपना स्वयं का ख्याल रखने में सक्षम नहीं अथवा कानूनन बाध्यकारी फैसले लेती है, यह किसी व्यक्ति की संरक्षता के बारे में आदेश दे सकती है । यह इस

प्रावधान के विपरीत प्रतीत होता है कि ''सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांग व्यक्ति संपत्ति और वित्तीय मामलों के अतिरिक्त, समान आधार पर ''कानूनी हैसियत'' और जीवन के सभी पहलुओं पर समान मान्यताएं प्राप्त करेगा । संरक्षकता एक भावुकता से भरा मुद्दा है जब तक कि इसमें व्यक्ति की संपत्ति और परिसंपत्ति के संबंध में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है । यद्यपि कानूनी सहायता का अधिकार एक सकारात्मक कदम है ।

कानून में नि:शक्त व्यक्तियों के लिये सरकारी और निजी अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और केंद्रों में बाधा-रहित सुगम्यता के लिये प्रावधान किया गया है जिसमें ' ' बाधा' ' से आशयसंरचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्थानिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यवहार या संरचनात्मक कारणों से है जो कि समाज में नि:शक्त व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से संबंधित है । सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुगम्य भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए इसमें सार्वजनिक और निजी भवनों में सुगम्यता के लिये एक समय सीमा को निर्धारित किया गया है ।

निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान केंद्र और चुनाव सामग्री नि:शक्त व्यक्तियों के अनुकूल हो जबकि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सार्वजनिक दस्तावेज सुगम्य स्वरूप में हैं ।

यू.एन.सी.आर.पी.डी की भावना के अनुरूप और नि:शक्त व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता के दायरे का विस्तार करते हुए कहा गया है कि ''उपयुक्त सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, नि:शक्त व्यक्तियों के लिये स्वतंत्र रूप से अथवा समुदाय में रहने के लिये जीवन के लिये पर्याप्त मानदंड हेतु उनके अधिकारों की संरक्षा और प्रोत्साहन के लिये आवश्यक योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करेंगी.'' ।

कानून में नि:शक्त व्यक्तियों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजग़ार पर ज़ोर दिया गया है ताकि उन्हें औपचारिक और अनौपचारिक कौशल प्रशिक्षण की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके । विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिये पर्याप्त समर्थन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पूर्ववर्ती विधेयक से हटकर-नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा बनाये गये उत्पादों की मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया गया है ।

(अगले अंक में...)

वोइस टू दिव्यांग

बच्चों की रचनात्मकता को सलाम

नवजीवन चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित डॉ.हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फोर मेन्टली डिसेबल्ड मनोदिव्यांग बच्चों ने दिपावली पर्व के लिए वेक्स से बने विभिन्न प्रकार के दिए बनाना शुरु कर दिया है ।अपने कर कमलों से बने वेक्स के इन दिपकों का सुंदर उपयोग कर के बच्चों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदीजी की मुखाकृति तैयार कर के उन्हे जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रदान की थी । बच्चों की इस कलाकृति को देखकर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित और भावविभोर हो गये थे । मनोदिव्यांग बच्चों को भी उचित अवसर और स्थान मिले तो उनमें छिपी प्रतिभा को निखारा जा सकता है । संस्थाने ऐसे प्रयासों के कारण मनोदिव्यांग बच्चें आज सम्मान पा रहे हैं ।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर